न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -6/2022

अनवान

1. रामदयाल पिता श्री देवीलाल जी, जाति मेघवाल, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. रामदयाल पिता मोती जी मेघवाल, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. दिनेश चंद्र पिता देवी लाल ब्राह्मण, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. रामरेख पत्नि देवीलाल ब्राह्मण, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. शम्भुदयाल पिता देवीलाल, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. कला बाई पत्नि नन्द लाल, जाति माली, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. पप्पु पिता नन्द लाल, जाति माली, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. सत्यनारायण पिता नन्दलाल माली, जाति माली, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री आजाद हुसैन अभिभाषक प्रार्थी।
श्री एल सी जायसवाल अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक 12.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा झरझनी पटवार हल्का झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रार्थीग्ण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 1090 और 1092, 1093 स्थित है और इन ही आराजीयात के पड़ोस में अप्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 1087, 1086 स्थित है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात 1090, 1092, 1093 मी. में जाने आने के लिये प्रार्थीगण का रास्ता खसरा नम्बर 1181 से होता हुआ 1089, 1088, 1087 से होकर जाता है। खसरा नम्बर 1181 से 1087 के उत्तरी कोने तक जाने आने का रास्ता गाड़ी गड़ार बना हुआ है और दोनों ओर पत्थरों की कोट बना कर रास्ता दे रखा है। नक्शे में बताये गये ए स्थान तक पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है परन्तु नक्शे में बताये हुए ए से बी स्थान तक जाने के लिये खसरा नम्बर 1086 और 1087 व 1090 में संबंधित खातेदार अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है और प्रार्थीगण का खेतों में जाने का रास्ता बंद कर रखा है जिससे प्रा[illegible] पड़त पड़े हुए है और अपनी जमीन में काश्त नहीं कर पा रहे है। अपनी आराजीयात में जाने का [illegible] की अपनी अधिकार है और प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते में आने वाली जमीन की [illegible] करने को तैयार है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1086 जो कला बाई पप्पु, सत्य ना[illegible] रास्ता चाहता है यदि कला बाई व उसके पुत्र पूरा रास्ता देने को तैयार नही हो तो दिनेश चंद्र, रामरेख, व शम्[illegible] के खाते में से 7-7 फीट चौड़ाई में कुल मिला कर 14 फीट रास्ता लेना चाहता है। यदि दोनों में से कोई भी एक रास्ते के लिए जमीन देने के लिये तैयार हो तो कीमत देकर प्रार्थीगण रास्ता लेने के लिए तैयार है। अंत मे प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शे मे दिखाए गये ए से बी स्थान तक रास्ता दिलाया जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.20 11:36:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री लालचन्द जायसवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजीयात 1090, 1092, 1093 में जाने के लिए प्रतिवादीगणों के खाते की आराजीयात मे से प्रार्थीगणों की आराजीयात 1089, 1088, 1087 से होकर नही जाता है, प्रार्थीगणों ने गलत तथ्य अंकित किये है। खसरा संख्या 1081-1087 तक रास्ता गाडी गडार का बना हुआ है, वह प्रतिवादीगणों के खाते मे होकर खेतो मे जाने का गाडी गडार का रास्ता जो केवल अप्राथीगणों के उपयोग उपभोग में आता है, जिसके दोनो तरफ अप्रार्थीगण एवं पडोसी घनश्याम, सावरलाल, नानूराम ने अपने खाते में दिवार बना रखी है एव रास्ता प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण घनश्याम सावंरलाल व नानूराम के खेतो मे आने जाने का कोई रास्ता नही है साथ ही नक्शे मे बताए गये ए स्थान से बी तक जाने के लिए अप्रार्थीगणों के खाता संख्या 1086, 1087, 1090 में संबंधित खाते मे जाने के लिए विवाद उत्पन्न करते है वहां पर प्रार्थीगणों का कोई रास्ता नही है प्रार्थीगण जबरन उक्त अप्रार्थीगणों के खाते में जबरन निकलना चाहते है, जिनका उनको कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीगणों के रास्ते मे अपने खाते पर कभी आये नही है एवं प्रार्थीगण नया रास्ता कायम करना चाहते है जिनका उनको कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। साथम में प्रार्थीगणों को यह कथन भी गलत लिखवाया गया है कि प्रार्थीगणों का खेत पडत होने वाली बात गलत अंकित की है। मौके पर प्रार्थीगण ने अपने खेतोमे फसल उगाई है एवं प्रार्थीगणों अन्य रास्तो से अपने खेतो में आते जाते रहे है। अंत में वादीगण रामदयाल पुत्र देवीलाल मेघवाल निवासी ग्राम झरझनी व रामदयाल पुत्र मोती जी मेघवाल निवासी ग्राम झरझनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 का गलत तथ्यों पर प्रस्तुत करने से खारिज किये जाने योग्य है तथा साथ में प्रार्थीगणों द्वारा गलत प्रार्थना पत्र पेश करने से जो अप्रार्थीगणों का हर्जा खर्चा वकील मेहनताना हुआ है वह भी दिलाया जाने एवं रास्ता अप्रार्थीगणों की आराजीयात में नही देने का आदेश प्रदान कर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी के आराजी संख्या 1090 रकबा 3.94है0, किस्म माल-1 कन्या बाई, भुवानी बाई पिता चतरभुज, प्रभु, बादामी, गीता, रामदयाल, लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल, ज्यानी बाई पत्नि देवीलाल, कमलेश, घनश्याम, रामनिवास, सुगना बाई, सीमा पिता कामड, धापूबाई पत्नि कामड जाति मेघवाल सा. खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 1092/1505 रकबा 0.46है0 एवं आराजी संख्या 1093/1506 रकबा 0.63है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.09है0 भूमि रामदयाल पिता मोती हिस्सा 1/2 व सोना बाई पत्नि रामदयाल हिस्सा 1/2 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी को उक्त खसरा संख्या पर आने जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। वादी को अपने आराजी संख्या 1090, 1092, 1093 पर आने जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते से लेकर एक गाडी-गडार रास्ता बना हुआ है, जो रिकार्डेड नहीं है। जो आराजी संख्या 1085 व 1087 के बीच मेड तक जाता है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 1086, 1087 से होकर गुजरता है, लेकिन रिकार्डेड रास्ते से जोडते हुए आराजी संख्या 1085, 1089, 1180, 1181, 1184, 1182 मे होकर दिया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते मे उपयोग मे आने वाली भूमि में आराजी संख्या 1086 की दक्षिणी मेर पर लम्बाई 160 व चौडाई 2 मीटर कुल 320 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1087 की उत्तर-पश्चिमी मेर पर लम्बाई 280 व चौडाई 2 मीटर कुल 560 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1085 की पूर्वी मेर की लम्बाई 290 व चौडाई 2 मीटर कुल 580 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1089 की पश्चिमी मेर पर लम्बाई 156 व चौडाई 2 मीटर कुल 312 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1181 की पूर्वी मेर पर लम्बाई 90 व चौडाई 2 मीटर कुल 180 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1180 पश्चिमी मेर पर लम्बाई 60 व चौडाई 2 मीटर कुल 120 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1182 की पश्चिमी मेर पर लम्बाई 42 व चौडाई 2 मीटर कुल 84 वर्गमीटर, आराजी संख्या 1090 पूर्वी-पश्चिमी मेर पर लम्बाई 110 व चौडाई 2 मीटर कुल 220 वर्गमीटर एवं कुल क्षैत्रफल 2376 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आएगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 403847 रू प्रति हैक्टयेर अथवा 40.385 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी ... रास्ते में आने वाली कुल भूमि 2376 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 2376X40.385=95955 रूपये बनती है। जिसका दुगुना ... जमा कराना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.20 11:36:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र ... है तथा उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने ... असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 1090, 1092, 1093 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए आराजी संख्या 1086, 1087 से होते हुए गाडी-गडार रास्ता बना हुआ है जो रिकार्डेड नहीं है,उक्त रास्ता मुल रास्ते ...ी संख्या 66 से होकर एक आम रास्ता विपक्षीगण के खसरा संख्या 1086, 1087 भूमि से रास्ता होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक आता है, लेकिन उक्त रास्ता आस पड़ोस वाले विपक्षीगण संख्या 01 से 06 ने तारबंदी कर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थीगण अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, उक्त रास्ता जो आराजी संख्या 1086 के दक्षिणी व 1087 के उत्तर पश्चिमी मेड के सहारे सहारे आराजी संख्या 1090, 1092, 1093 प्रार्थीगण के खाते की कृषि में आता है, प्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (राज.)

विपक्षी संख्या 01 से 06 की खातेदारी की उक्त भूमि में से उत्तरी मेड पर से नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2024 के अनुसार उक्त प्रकरण में नक्शे अनुसार प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी संख्या 1086, 1087 के पश्चिम व उत्तरी-पश्चिम दिशा से रास्ता चाहता है, इस रास्ते में आराजी संख्या 1086, 1087 (880 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी, चूंकि तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट अनुसार 1090, 1092, 1093 पर आने जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते से लेकर एक गाडी-गडार रास्ता वर्तमान में चालू होने का निवेदन किया है। किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि उक्त रास्ते की दूरी अधिक होने से वर्तमान डीएलसी दर से राशि अधिक बन रही है, प्रार्थी को आराजी संख्या 1086, 1087 से रास्ता चाहिए यहा तक रास्ता दोनो ओर पत्थर की दिवार होकर रास्ता वर्तमान मे चालू होकर समस्त ग्रामवासियान सावर्जनिक रास्ते हेतु उपयोग मे रहे है। प्रार्थी को ग्राम झरझनी की आराजी संख्या 1086 के दक्षिण व 1087 के उत्तर पश्चिमी मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 880 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 403847/ रू. प्रति है0 से 880X40.385=35539 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 71078 रू बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते मे से आराजी संख्या 1086, 1087 मे से ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है, अतः प्रार्थीगण के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

-:आदेशः-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम झरझनी पटवार हल्का झरझनी की आराजी संख्या 1090, 1092, 1093 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से 06 की आराजी संख्या 1086 रकबा 2.51है0 (320 वर्गमीटर) दक्षिणी मेड से व आराजी संख्या 1087 रकबा 1.70 है0 (560 वर्गमीटर) उतर-पश्चिमी मेर के सहारे-सहारे कुल 880 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 880 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 403847/रू. अनुसार कीमत 35539 रू की दुगुनी दर से राशि 71078/रू. (अक्षरे रूपये इकत्तर हजार अठत्तर रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 01 से 06 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 880 वर्गमीटर (राशि 71078 रू) का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 06 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.20 11:36:38 IST
Reason: SelfAttested